

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 96/2020

दायर दिनांक: 06/08/2020

उनवान

1. बाबूलाल आयु 48 वर्ष पुत्र स्व० बूचीलाल जाति बंजारा
2. बृजमोहन आयु 43 वर्ष पुत्र स्व० बूचीलाल जाति बंजारा
3. गुलाब बाई आयु 50 वर्ष पुत्री स्व० बूचीलाल जाति बंजारा
4. कौशल्या आयु 46 वर्ष पुत्री स्व० बूचीलाल जाति बंजारा
5. मन्जू बाई आयु 40 वर्ष पुत्री स्व० बूचीलाल जाति बंजारा
6. नर्मदा बाई आयु 75 वर्ष पत्नि स्व० बूचीलाल जाति बंजारा निवासीगण नृसिंहपुरा तहसील अटरू हाल निवासी बडगांव तह० अन्ता जिला बारां राज०।
7. कमल आयु 22 वर्ष पुत्री प्रभूलाल जाति बंजारा
8. टीना आयु 20 वर्ष पुत्री प्रभूलाल जाति बंजारा
9. मुस्कान आयु 17 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जयवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा
10. रेणू आयु 15 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जयवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा
11. बिन्दिया आयु 13 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जयवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा
12. ज्योति आयु 11 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जयवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा निवासीगण कसार तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज०।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जय श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट० एवं 136 एल०आर०एक्ट०
बाबत खातेदारी घोषणा एवं नाम दुरस्ती हेतु

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित । संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा तहसील अटरू में खाता संख्या 77 के ख0नं0 335 का रकबा 2.45 है0 कुल कित्ता 1 का रकबा 2.45 है0 आराजी वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 77 साथ में संलग्न है। उक्त वर्णित आराजी में वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का नाम बूचीलाल के स्थान पर किशनलाल दर्ज होने के कारण उनके वारिसान का नामान्तकरण उनके पक्ष में नहीं खोला जा रहा है। जबकि वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का नाम वादी क्रम 1 ता 6 के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में बूचीलाल सही दर्ज है। बूचीलाल की मृत्यु दिनांक 09.06.2017 को हो चुकी है मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ में संलग्न है। खातेदारान बूचीलाल की पुत्री तुलसा की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए तुलसा के वारिसान को वादी क्रम 7 लगा 12 बनाया गया है। इसलिए वारिसान को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। दौराने सेटलमेन्ट आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का नाम बूचीलाल के स्थान पर किशनलाल दर्ज कर दिया जो कि गलत है वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का सही नाम बूचीलाल है तथा वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसा प्रमाण पत्र, में सही नाम बूचीलाल दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का नाम किशनलाल के स्थान पर बूचीलाल दर्ज किया जाना संभव नहीं है यदि वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादीगण का आराजी में नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सकेगा तथा अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सी0सी0 ऋण आदि प्राप्त करने से वंचित होना पड़ेगा। जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इसलिए वादीगण का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का नाम किशनलाल के स्थान पर बूचीलाल दर्ज कर वादीगण को खातेदार

कृषक घोषित किया जावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार सेटलमेन्ट कर्मचारीगण द्वारा वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का गलत नाम किशनलाल दर्ज कर देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 21.07.2020 को श्रीमान तहसीलदार महोदय अटरू को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र देने पर श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम नृसिंहपुरा पटवार मण्डल केरवालिया तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि—

- (अ) यह कि वादीगण को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम नृसिंहपुरा पटवार मण्डल केरवालिया के खाता संख्या 77 के ख0नं0 335 का रकबा 2.45 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.45 है0 आराजी पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का नाम किशनलाल के स्थान पर बूचीलाल दर्ज कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।
- (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी क तहत pw 1 से pw 3 बाबूलाल पुत्र स्व0 बुचीलाल जाति बंजारा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू, बृजमोहन पुत्र स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू, कमल पुत्र प्रभूलाल जाति बंजारा निवासी कसान तहसील लाडपुरा जिला कोटा के शपथ पत्र पेश किये तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादियों ने बताया कि ग्राम एवं माल नृसिंहपुरा तहसील अटरू में खाता संख्या 77 के ख0नं0 335 का रकबा 2.45 है0 आराजी बाबूलाल, बृजमोहन, गुलाब बाई, कौशलया, मन्जू बाई व

नर्मदा बाई के पिता व कमल, टीना, मुस्कान, रेणू, बिन्दिया व ज्योति के नाना एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। दौराने सेटलमेन्ट आपके कर्मचारीगण ने वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का नाम बूचीलाल के स्थान पर किशनलाल दर्ज कर दिया जो कि गलत है वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का सही नाम बूचीलाल है तथा वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र में सही नाम बूचीलाल दर्ज है। उक्त आराजी में वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का नाम किशनलाल के स्थान पर बूचीलाल दर्ज कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

3. अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम नृसिंहपुरा की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071-2074 के ख0नं0 335 रकबा 2.45 है0 आराजी शामलाती खाते किशनलाल पुत्र देवीलाल, नेना पुत्र देवीलाल, पुष्पाबाई पत्नि प्रभूलाल, भूलीबाई पत्नि कन्हैयालाल, भंवरलाल पुत्र देवीलाल के दर्ज खाता स्थित है। वादी क्रम संख्या 1, 2 व 6 के आधार कार्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि इनके पिता का नाम बूचीलाल निवास स्थल बडगांव तहसील अन्ता जिला बारां है (प्रदर्श 2, 4 एवं 9) । इसी प्रकार वादीगण द्वारा पेश अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.07.2017 (प्रदर्श 11) के अनुसार भी वादीगण के पिता का नाम बूचीलाल पुत्र देवीलाल निवासी बडगांव तहसील अन्ता है। अपने अनुतोष के समर्थन में वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत बडगांव तहसील अन्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 18.06.2022 एवं ग्राम पंचायत केरवालिया तहसील अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र 18.6.2022 पेश किये गये है। उक्त दोनों प्रमाणों पत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया है कि बूचीलाल पुत्र देवीलाल एवं किशनलाल पुत्र देवीलाल जाति बंजारा एक ही व्यक्ति के नाम है।

उक्त संबंध में **pw1** , **pw2** एवं **pw3** के गवाह शपथ पत्रों का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार भी वादी क्रम 1 ता 6 के पिता व वादी क्रम 7 ता 12 के नानाजी का वास्तविक नाम बूचीलाल पुत्र देवीलाल जाति बंजारा है और इनकी जमीन ख0नं0 335 रकबा 2.45 है0 हिस्सा 1/5 ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू में स्थित है।

वादीगण द्वारा 50 रु के स्टाम्प पर पेश शपथ पत्र के अनुसार उनके पिता का वास्तविक नाम बूचीलाल पुत्र देवीलाल बंजारा है जिसका स्वर्गवास दिनांक 09.06.2017 को हो चुका और वादीगण सजरा अनुसार उनके वारिसान है।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी क्रम 1 ता 6 के पिता एवं वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का सही नाम बूचीलाल पुत्र देवीलाल साबित होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू के ख0नं0 335 रकबा 2.45 है0 आराजी के शामलाती खाते में वादी क्रम 1 ता 6 के पिता एवं वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का किशनलाल पुत्र देवीलाल के स्थान पर बूचीलाल उर्फ किशनलाल पुत्र देवीलाल दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्त्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 96/2020

उनवान

1. बाबूलाल आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा
2. बृजमोहन आयु 43 वर्ष पुत्र स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा
3. गुलाब बाई आयु 50 वर्ष पुत्री स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा
4. कौशल्या आयु 46 वर्ष पुत्री स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा
5. मन्जू बाई आयु 40 वर्ष पुत्री स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा
6. नर्मदा बाई आयु 75 वर्ष पत्नि स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा निवासीगण नृसिंहपुरा तहसील अटरू हाल निवासी बडगांव तह0 अन्ता जिला बारां राज0।
7. कमल आयु 22 वर्ष पुत्री प्रभूलाल जाति बंजारा
8. टीना आयु 20 वर्ष पुत्री प्रभूलाल जाति बंजारा
9. मुस्कान आयु 17 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जयवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा
10. रेणू आयु 15 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जयवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा
11. बिन्दिया आयु 13 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जयवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा
12. ज्योति आयु 11 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जयवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा निवासीगण कसार तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जय श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

बाबत खातेदारी घोषणा एवं नाम दुरस्ती हेतु

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रुबरू

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू के ख0नं0 335 रकबा 2.45 है0 आराजी के शामलाती खाते में वादी क्रम 1 ता 6 के पिता एवं वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का किशनलाल पुत्र देवीलाल के स्थान पर बूचीलाल उर्फ किशनलाल पुत्र देवीलाल दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजर..... मुबालिकर..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहर.....
 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकर..... अदा करूंगा।
 मैंरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
 अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
 अटरू जिला बारां (राज0)